

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1267 / 2017 / अलवर.
2. अपील संख्या – 1268 / 2017 / अलवर.
3. अपील संख्या – 1269 / 2017 / अलवर.
4. अपील संख्या – 1270 / 2017 / अलवर.
5. अपील संख्या – 1271 / 2017 / अलवर.
6. अपील संख्या – 1272 / 2017 / अलवर.

मैसर्स अम्बे लेबोरेटरीज लिमिटेड,
SPI-5, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, सोतानाला, बहरोड़, अलवर.अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये छः अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9(2), 9(2)(ए) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.05.2017 के विरुद्ध केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. उपरोक्त सभी अपीलें एक ही पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की जाने तथा सभी में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभाग के जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2016 को किया गया। जांच में उपलब्ध दस्तावेजों के निरीक्षण पर जांच अधिकारी को यह तथ्य प्राप्त हुए कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर हरियाणा स्थित

लगातार.....2

स्थान बावल के नाम पर अपीलार्थी की ब्रांच को जो माल का ब्रांच ट्रांसफर करना बताया जा रहा है वह वास्तव में ब्रांच ट्रांसफर न होकर केवलमात्र दस्तावेजों में इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर को बचाने के लिये दर्शाया गया है। जांच अधिकारी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी के पास हरियाणा एवं अन्य राज्यों के क्रेता व्यवहारियों के परेचज ऑर्डर के अधीन ही माल का विनिर्माण कर उसे सीधे अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा जांच में ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रभारी का भी बयान लेकर यह प्रमाणित किया जाना बताया गया कि वास्तव में माल राजस्थान से सीधे विभिन्न क्रेताओं को डिलीवर किया गया है एवं बावल की ब्रांच पर किसी माल को डिलीवर नहीं किया गया है बल्कि केवल बिल्टी एवं बिलों में बावल का विवरण अंकित किया जाता है। इस तरह अन्तर्राज्यीय विक्रय के माल को कपटपूर्वक तरीके से शाखा अन्तरण प्रदर्शित कर, कर का अपवंचन करने का अभियोग स्थापित कर ब्रांच ट्रांसफर में दर्शाया गये संव्यवहार को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए उस पर कर, सपटित वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया एवं अनुवर्ती ब्याज का भी आरोपण किया गया। उक्त सभी वर्षों के लिये पारित आदेशों के विरुद्ध ये प्रथम अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा हरियाणा राज्य में अवस्थित ब्रांच जो कि बावल नामक स्थान पर घोषित है एवं हरियाणा वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा निर्मित माल को अन्तर्राज्यीय विक्रय के अलावा हरियाणा में ब्रांच ट्रांसफर भी किया गया था जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत कर योग्य नहीं होने से उस पर किसी तरह का कर दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2016 को अपीलार्थी का सर्वे करने के पश्चात् वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 के नोटिस जारी कर क्रेताओं के क्रय आदेशों के आधार पर किये गये गमनागमन को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(a) में विक्रय का संव्यवहार माने जाने हेतु नोटिस जारी किये गये थे।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 05.12.2016 को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिनांक 21.03.2017 को नोटिस का पूर्ण जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के अनुरूप उनके माल का ब्रांच ट्रांसफर बावल की ब्रांच में किया जाना पूर्ण रूप से प्रमाणित किया था, जिसके विवरणों को अपने अपील आधारों में उद्धरित करते

हुए बताया कि अपीलार्थी कम्पनी राजस्थान के जिला अलवर में बहरोड़ इकाई में अपना निर्माण कार्य करती है एवं उसकी एक ब्रांच बावल में हरियाणा वैट एक्ट के तहत हरियाणा में ही पंजीकृत है। आगे कथन किया कि जो माल हरियाणा की बावल ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है वह माल वहां से ही हरियाणा में और हरियाणा से अन्य राज्यों में विक्रय किया जाता है। इस तरह बहरोड़ से जो माल बावल भेजा गया है वह स्वयं की ब्रांच में ट्रांसफर होने से वह केवलमात्र शाखा अन्तरण है न कि स्वयं की शाखा को कोई विक्रय किया गया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि माल का विक्रय केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के तहत तभी कहा जा सकता है जब माल किसी अन्य व्यक्ति को सीधे विक्रय किया जाता है या दस्तावेजों के अन्तरण से कोई विक्रय अन्तर्राज्यीय विक्रय के गमनागमन के दौरान किया जाता है जबकि अपीलार्थी फर्म द्वारा माल को विक्रय न कर अपनी ब्रांच में ट्रांसफर किया गया था, ऐसी स्थिति में उनका ट्रांसफर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत होने से उस पर कोई कर आरोपणीय नहीं होता है एवं अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत वांछित Burden of Proof के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें मूल रूप से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) के अनुसार घोषणा पत्र 'एफ' कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये थे। चूंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत केवलमात्र यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है कि माल का स्थानान्तरण केवलमात्र ब्रांच को किया गया है एवं वह किसी विक्रय संव्यवहार का भाग नहीं होता है तब अन्य राज्य की ब्रांच द्वारा घोषणा पत्र 'एफ' दिया जा सकता है। यह भी कथन किया कि हरियाणा राज्य के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके इन शाखा अन्तरणों के लिये घोषणा पत्र 'एफ' जारी किये गये थे एवं वे घोषणा पत्र नियमित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये थे, इसलिए वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिये पारित कर निर्धारण आदेशों में इन शाखा अन्तरणों को स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में उन मामलों में जो कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, वे विधि के विरुद्ध हैं क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) के अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे शाखा अन्तरण को सदैव के लिये शाखा अन्तरण ही माना जाना अनिवार्य है। उन्होंने कथन किया कि जो अन्तर्राज्यीय शाखा अन्तरण किया गया था एवं उनके सम्बन्ध में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत कर दिये गये थे उन मामलों में बिना किसी विपरीत तथ्यों के अन्तर्राज्यीय विक्रय माना गया है वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से पारित आदेश अपास्त योग्य हैं। उन्होंने यह कथन किया कि जो माल हरियाणा राज्य में शाखा अन्तरण हुआ था उस माल पर किसी भी तरह का कर दायित्व हरियाणा राज्य में ही प्रभावी होता है एवं उस

माल पर अन्तर्राज्यीय विक्रय में करारोपण किया जाना विधि के विरुद्ध है क्योंकि अन्तर्राज्यीय विक्रय के मामलों में कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण केवल केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के अनुसार ही संव्यवहार होने पर किया जा सकता है। इसी क्रम में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए एवं धारा 9 का उद्धरण करते हुए यह तर्क दिया कि अपीलार्थी के संव्यवहारों पर राज्य के भीतर अन्तर्राज्यीय व्यवहार में करारोपण किये जाने की कोई अधिकारिता कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त नहीं है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ने हरियाणा राज्य से प्रेषित किये गये घोषणा पत्र 'एफ' को स्वीकार कर हरियाणा में किये गये क्रय-विक्रयों को स्वीकार किया है।

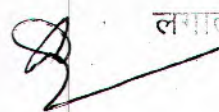
7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में हरियाणा की ब्रांच से एवं हरियाणा के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से बिना किसी जांच एवं परीक्षण के घोषित संव्यवहारों को अन्तर्राज्यीय विक्रय माना गया है जबकि हरियाणा की ब्रांच द्वारा सम्बन्धित वहां के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा दिये गये घोषणा पत्रों को राज्य में कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष पेश कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वे हरियाणा की ब्रांच से भी इसकी जांच करवाते एवं उसे मिथ्या घोषित करते, परन्तु ऐसा कोई भी कार्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

8. अन्त में विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी की जांच पत्रावली से भी यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो परचेज ऑर्डर और उससे सम्बन्धित माल का गमनागमन अन्य राज्यों को विक्रय के रूप में किया जाना आरोपित किया गया है उस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं न ही प्रत्येक संव्यवहार के बारे में अपीलार्थी को कोई मौका स्पष्टीकरण हेतु दिया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने पुनः आग्रह किया कि वास्तव में अपीलार्थी के पास कोई परचेज ऑर्डर नहीं था एवं न ही क्रेताओं के परचेज ऑर्डर पत्रावली पर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके बिलों में जो पी. ओ. बताये गये हैं, उन्हीं को परचेज ऑर्डर होना साक्ष्य के रूप में उपयोग किया है जबकि वास्तव में ऐसा कोई परचेज ऑर्डर उनके पास नहीं था बल्कि वे ब्रांच द्वारा दिये गये आदेश मात्र हैं एवं यह कथन किया कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक परचेज ऑर्डर एवं गमनागमन के बारे में स्पष्टीकरण नहीं लेकर प्रथम बार केवलमात्र दिनांक

16.05.2017 को दिये गये जवाब से दिनांक 24.05.2017 को आदेश पारित कर दिये गये। इस तरह केवलमात्र एक बार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें कार्यालय में बुलाकर अपीलार्थी को समय दिया गया था एवं उसके पूर्व अपीलार्थी द्वारा केवल प्रारम्भिक आपत्तियां उठाई गई थी, उस सम्बन्ध में ही उनके द्वारा जवाब तलब किया गया था। इस तरह अपीलार्थी के संव्यवहारों को शाखा अन्तरण से अन्तर्राज्यीय विक्रय में परिवर्तित करने सम्बन्धी निर्णय के पूर्व प्रत्येक संव्यवहार के मामले में समुचित सुनवाई किये बिना ही आदेश पारित किये गये हैं, इस आधार पर भी ये आदेश अपास्तनीय बताये एवं वैकल्पिक रूप से यह अनुरोध किया कि उनके अपने संव्यवहारों के शाखा अन्तरण होने सम्बन्धी स्पष्टीकरण देने हेतु समय दिया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जा सकते हैं।

9. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेशों में कुछ परचेज ऑर्डर की आंशिक सूची दर्शाते हुए पूरे ब्रांच ट्रांसफर को अन्तर्राज्यीय विक्रय बताया गया है जबकि उनके द्वारा प्रत्येक संव्यवहार के बारे में कर निर्धारण अधिकारी को स्पष्टीकरण दिया जा सकता था। फलतः समस्त आदेशों को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

10. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पूर्णतया जांच से प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पारित किये गये हैं एवं यह सिद्ध होने पर कि अपीलार्थी द्वारा माल का जो ब्रांच ट्रांसफर बताया गया है वह वास्तव में केवलमात्र कर बचाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से दस्तावेजों का निर्माण मात्र है क्योंकि जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्येक ब्रांच ट्रांसफर के मामलों में एवं जारी किये गये बिलों से यह प्रमाणित किया है कि माल वास्तव में बहरोड़ से सीधा विभिन्न क्रेताओं को भिजवाया गया था, जिसके लिये बावल स्थित ब्रांच द्वारा जारी रिटेल इन्वॉयस में वाहन के नम्बर एवं परचेज ऑर्डर नम्बर भी अंकित थे एवं ऐसे प्रत्येक बिल को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से ही प्राप्त करके यह प्रमाणित किया है कि जिस वाहन से माल राजस्थान से खाना हुआ था उसी वाहन से माल सीधे क्रेताओं को भिजवाया गया था एवं उस माल की अनलोडिंग हरियाणा राज्य में कतई नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में उस माल पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।

लगातार.....6

11. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत ब्रांच ट्रांसफर के मामलों में दरतावेजों से यह बताया जा सकता है कि माल का शाखा अन्तरण किया गया है एवं उसके सम्बन्ध में घोषणा पत्र स्वयं अपीलार्थी द्वारा ही दिये जाते हैं, परन्तु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए की उपधारा (3) के अनुसार यह शक्तियाँ कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हैं कि यदि उसके बाद भी उनके पास ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है जिसमें यह प्रमाणित हो सके कि वह माल वास्तव में सीधे शाखा को अन्तरित न कर अन्तर्राज्यीय व्यवहार में क्रेताओं को सीधे भिजवाया गया है, तब उन पर अन्तर्राज्यीय विक्रय कर आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिविकूल है एवं इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में **हैदराबाद इंजीनियरिंग बनाम आंध्रप्रदेश सरकार** में यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि इस तरह के मामलों में ब्रांच का नाम केवल एक conduit pipe की तरह काम में लेकर शाखा अन्तरण को दर्शाये जाने पर उसे स्वीकार किया जाना अनिवार्य नहीं है एवं यदि कोई भी तरह के विक्रय अनुबंध होते हैं तो उस विक्रय अनुबंध के अनुरूप किसी माल की सप्लाई सीधे ग्राहकों को की जाती है उस स्थिति में वह संव्यवहार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3ए के तहत ही स्वीकार योग्य होगा। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी का मामला पूरी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के हैदराबाद इंजीनियरिंग के प्रकरण के समान होने से जो करारोपण किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है। फलतः अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

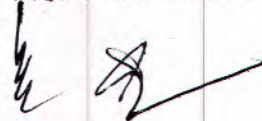
12. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

13. प्रस्तुत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं वे अपीलार्थी फर्म का सर्वे किये जाने पर पाये गये साक्ष्यों के आधार पर पारित किये गये हैं इसमें कोई विवाद नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचित एवं विस्तृत आदेश पारित करते हुए एवं कुछ संव्यवहारों को अपने आदेशों में अंकित करते हुए यह दर्शाया है कि जो माल अपीलार्थी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर के रूप में बताया गया था एवं उस माल का बिल बावल की ब्रांच द्वारा जारी किया जाना दिखाया गया था उनके बिलों को अपीलार्थी से प्राप्त कर यह प्रमाणित किया है कि जो माल राजस्थान राज्य से बावल की ब्रांच को जाना बताया गया था एवं वह माल पुनः बावल की ब्रांच से विक्रय किया जाना बताया गया था उनके बिक्री बिलों में क्रेताओं के परचेज ऑर्डर संख्या एवं दिनांक अंकित हैं और उन बिलों में उन्हीं वाहनों के नम्बर अंकित हैं, जिन वाहनों से माल का गमनागमन राजस्थान राज्य से रवाना किया गया था। इस सम्बन्ध में

1

7

कर निर्धारण आदेश में कुछ क्रेताओं के आदेशों को सम्बन्धित वाहनों एवं बावल के बिलों का विवरण अंकित किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह माल सीधे राजस्थान से अन्य राज्य को किसी परचेज ऑर्डर के सन्दर्भ में ही भिजवाया गया है एवं उस माल को बावल की शाखा में उतारा नहीं गया है क्योंकि जिस दिन माल की रवानगी राज्य से हरियाणा में की जाना बताया है उसी दिन पुनः उसी वाहन से बिल अन्तिम क्रेताओं को जारी किये हुए हैं। इस प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी फर्म के वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के कर निर्धारण आदेश वेत अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये हैं अर्थात् उन मामलों में नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों को स्वीकार करते हुए शाखा अन्तरण को स्वीकार कर पूर्व में आदेश पारित किये हुये थे, ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य होता है कि किसी भी संव्यवहार को जिसे कि शाखा अन्तरण से अन्तर्राज्यीय विक्रय में परिवर्तित करने से पूर्व प्रत्येक संव्यवहार का साक्ष्य उपलब्ध हो। यह उल्लेखनीय है कि अपील सुनवाई के दौरान स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने उपस्थित होकर बिल, बिल्टी एवं पूरी सूची प्रस्तुत की है जिसमें प्रत्येक बिलवाईज माल के सीधे जाने सम्बन्धी एवं परचेज ऑर्डर होने सम्बन्धी विवरण होना बताया था, परन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत यह आपत्ति भी न्यायोचित प्रतीत होती है कि उन्हें प्रत्येक संव्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से भी यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा केवल एक सुनवाई में ही सभी वर्षों के बारे में जवाब प्राप्त किये गये थे एवं पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों में भी कुछ परचेज ऑर्डर के बारे में ही विवरण अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना उचित होगा जिससे वे कर निर्धारण अधिकारी को उन परचेज ऑर्डर एवं माल के गमनागमन सम्बन्धी तथ्यों से पूर्णतया अवगत करा सकें। चूंकि इस मामले में यह तर्क भी दिया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल अपने स्तर पर जांच के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है एवं हरियाणा स्थित ब्रांच से कोई जांच नहीं करवाई गई एवं न ही ट्रांसपोर्टर के बयानों को प्रतिसत्यापन करवाया गया था, ऐसी स्थिति में न्यायविरत में यह उचित है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करें तथा उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों को अपीलार्थी को बताते हुए एवं आवश्यक हो तो उनकी प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान कर अपीलार्थी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अपीलार्थी व्यवहारी भी इस रास्ता में त्वरित रूप से अपने ब्रांच ट्रांसफर सम्बन्धी संव्यवहारों को केन्द्रीय अधिष्ठाता की धारा

 लगातार.....8

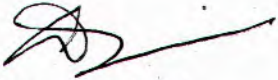
6ए के अनुसार प्रमाणित करने के लिये दस्तावेजी सबूत एवं गमनागमन सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत करें जो यह प्रमाणित कर सकें कि वह माल वास्तव में सीधे क्रेताओं को न जाकर बावल ब्रांच में प्रेषित किया गया था।

14. फलतः उक्त प्रकरण में केवलमात्र सुनवाई का पूरा अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने के लिये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं एवं यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे तीन माह के भीतर इस सम्बन्ध में पुनः आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि प्रकरण के तथ्यों के गुणावगुण पर इस आदेश में दिये गये विवरण का कोई प्रभाव कर निर्धारण अधिकारी पर नहीं होगा एवं वे पुनः विचार कर सुविचारित एवं न्यायिक आदेश पारित करें।

15. परिणामतः उपरोक्त निर्देशानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं एवं आदेश दिनांक से तीन माह में पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(के. एल. जैन)
सदस्य